

प्रेस नोट – मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक – 22.09.2026

ऑपरेशन कन्विकशन: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी

वादी की नाबालिग पुत्री को अपने घर ले जाकर बन्द करने तथा जबरदस्ती बलात्कार के आरोप में 01 किशोर अपचारी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल ₹ 01 लाख हजार अर्थदण्ड

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को न्यायालय से अधिकतम एवं कठोर दण्ड दिलाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय से कठोर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना सिंधौली पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों एवं कुल 04 परीक्षित गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई। पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे-8, विशेष न्यायाधीश पाक्सो, शाहजहाँपुर द्वारा किशोर अपचारी (ए) को धारा 363 भादवि में 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹40,000/- अर्थदण्ड तथा धारा 4(2) पाक्सो अधिनियम में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹60,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना सिंधौली पुलिस की त्वरित कार्यवाही से नाबालिग को न्याय, किशोर अपचारी को सजा

दिनांक 08.02.2018 को वादी थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना सिंधौली में लिखित तहरीर देकर बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाया गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मामले की गंभीरता एवं वादी की तहरीर के आधार पर थाना सिंधौली पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान उपलब्ध भौतिक एवं मौखिक साक्ष्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को मजबूती से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा किशोर अपचारी (ए) को धारा 376 भादवि में 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹40,000/- अर्थदण्ड तथा धारा 4(2) पाक्सो अधिनियम में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹60,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त किशोर अपचारी का विवरण

किशोर अपचारी निवासी ग्राम गहरा, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।

प्रकरण का विवरण

मु0अ0सं0-71/2018, धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 3/4 पाक्सो एक्ट, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुरा

प्रकरण में किशोर अपचारी (ए) द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। प्रकरण में थाना पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यों को मजबूती से रखा गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा किशोर अपचारी (ए) को धारा 376 भादवि में 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹40,000/- अर्थदण्ड तथा धारा 4(2) पाक्सो अधिनियम में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹60,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रतिबद्धता

शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा जघन्य अपराधों में अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाने के साथ-साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उन्हें कठोर दण्ड दिलाने का अभियान निरन्तर जारी है। ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से अपराधियों में कानून का भय एवं आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।